

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी, 2019-पौष 14, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्वारा मेरे पक्षकार विजय सिंह पुत्र हीरालाल, निवासी वार्ड नंबर 7, मकान नंबर 155, की गली नंबर-2 अम्बेडकर कॉलोनी, पिछोर तिराहा, डबरा, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के नाम से जाना जाता है जबकि वास्तविक रूप से मेरे पक्षकार का नाम विजय सिंह चामरिया चौहान है. इसलिए वह अपना वास्तविक नाम, पहचान एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में उपयोग करना चाहता है, इसलिये अपने नाम परिवर्तन की यह सूचना प्रकाशित करा रहा है.

Maharwan Singh Kushwaha,
(Advocate)
Behind Govt. Hospital Dabra,
Distt. Gwalior (M.P.).

(787-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुनीता गौड सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से श्री अरविंद गौड के साथ दिनांक 15-02-2002 को सम्पन्न हुआ था. विवाह पूर्व मेरा नाम सुनीता कैलाश जोशी था. जो कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है वर्तमान में मैं श्रीमती सुनीता गौड पत्नी श्री अरविंद गौड के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती सुनीता गौड पत्नी श्री अरविंद गौड के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी, अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सुनीता कैलाश जोशी के स्थान पर श्रीमती सुनीता गौड पत्नी श्री अरविंद गौड अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(सुनीता कैलाश जोशी)

नया नाम :
(सुनीता गौड)
म. नं. 168, न्यू कॉलोनी नं. 2,
बिरलानगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(789-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय पाटीदार पुत्र श्री ओमप्रकाश पाटीदार, आयु-वयस्क, निवासी कुम्हार मोहल्ला, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विजय ओमप्रकाश पाटीदार दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम विजय ओमप्रकाश पाटीदार पुत्र श्री ओमप्रकाश पाटीदार नाम दर्ज है. उसके स्थान पर विजय पाटीदार पुत्र श्री ओमप्रकाश पाटीदार पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(विजय ओमप्रकाश पाटीदार)

(788-बी.)

नया नाम :

(विजय पाटीदार)

नाम परिवर्तन

मैं, राजू साधारण को सूचित करता हूँ मेरा नाम पूर्व में राजकुमार माहौर है जो कि मेरे एल. आई. सी. पॉलिसी के प्रपत्र में अंकित है सभी लोग मुझे राजू के नाम से जानते हैं. जबकि मेरे सभी प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में मेरा नाम राजू अंकित है एवं में वर्तमान में राजू के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राजू नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा इसी नाम राजू से हस्ताक्षर करता रहूंगा राजू एवं राजकुमार माहौर एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे एल. आई. सी. पॉलिसी में मेरा राजकुमार माहौर के स्थान पर मेरा नाम राजू किया जाये एवं राजू एवं राजकुमार माहौर के हस्ताक्षर मान्य किये जायें सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(राजकुमार माहौर)

(790-बी.)

नया नाम :

(राजू)

ईदरा कॉलोनी, टेकनपुर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने स्वयं के नाम से एक जीवन बीमा पॉलिसी क्र. 201911755, दिनांक 23-07-2009 को कराई गई थी. जिसमें मुझे शपथकर्ता का घरेलू बोलचाल का नाम श्रीमती गुड्डी सिकरवार पत्नी श्री दिनेश सिंह सिकरवार अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम श्रीमती साधना सिकरवार पत्नी श्री दिनेश सिंह सिकरवार है. यही नाम मेरा सभी दस्तावेजों में अंकित है. जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते आदि. श्रीमती गुड्डी सिकरवार और श्रीमती साधना सिकरवार दोनों ही नाम मेरे हैं, और मैं भविष्य में श्रीमती साधना सिकरवार के नाम से ही पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(गुड्डी सिकरवार)

(791-बी.)

नया नाम :

(साधना सिकरवार)

पत्नी श्री दिनेश सिंह सिकरवार,
पता-न्यू कांच मिल, पंजाबी वाली गली,
बिरलानगर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रामाश्रय चर्मकार पिता श्री लोलर चर्मकार, पता-ग्राम रकरिया, पोस्ट बड़ागाँव, थाना गुढ़, जिला रीवा मध्यप्रदेश पैनकार्ड नं. डी.वीपीपीएस 9952 ए पर रामाश्रय साकेत पिता लोला साकेत लिखा गया है. जबकि मेरा सही रामाश्रय चर्मकार पिता लोलर चर्मकार लिखा-पढ़ा व जाना जाये.

पुराना नाम :

(रामाश्रय साकेत)

(792-बी.)

नया नाम :

(रामाश्रय चर्मकार)

पुत्र-श्री लोलर चर्मकार,
पता-ग्राम रकरिया, पोस्ट बड़ागाँव, थाना गुढ़,
तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. प्रकृति श्रीवास्तव की कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव और पत्नी का नाम विनीता श्रीवास्तव अंकित हो गया है, जबकि हम दोनों का सही नाम सत्यप्रकाश सत्संगी और विनीता सत्संगी है यही नाम हमारे समस्त दस्तावेजों में भी दर्ज है. जिसे पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम :

(सत्यप्रकाश श्रीवास्तव)

(विनीता श्रीवास्तव)

नया नाम :

(सत्यप्रकाश सत्संगी)

(विनीता सत्संगी),

पता-म. नं.-13, श्रीनगर, कॉलोनी,
बैरसिया रोड, भोपाल.

(799-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म चम्पालाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी 104, होली चौक, बघाना-नीमच (म.प्र.) जो कि रजिस्ट्रार आफ फर्म एवं सोसायटीज मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन क्रमांक 07/34/010085/17 पर रजिस्टर्ड फर्म है. जिसके एक भागीदार श्री हितेश गर्ग का दिनांक 10-09-18 को अचानक स्वर्गवास हो गया है. अतः संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 15-09-18 की शर्तों के अनुसार फर्म में कृष्णकुमार गर्ग पिता ओमप्रकाश गर्ग एवं मास्टर अनिकेत गर्ग पिता स्वर्गीय हितेश गर्ग को उनकी सहमति एवं शेष पुराने भागीदार की सहमति से दिनांक 11-09-18 से ही भागीदार बनाया गया है. अब भागीदारी फर्म निम्नलिखित भागीदारों द्वारा संचालित की जायेगी. (1) ओमप्रकाश गर्ग पिता किशनलालजी गर्ग, (2) कृष्णकुमार पिता ओमप्रकाशजी गर्ग, (3) मास्टर अनिकेत गर्ग पिता स्वर्गीय हितेश गर्ग द्वारा नेचुरल गार्जियन माना योगिता गर्ग पति हितेश गर्ग.

चम्पालाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी,

ओमप्रकाश गर्ग,

(भागीदार)

104, होली चौक, बघाना नीमच (म.प्र.).

(793-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म चुन्नीलाल चम्पालाल एण्ड कम्पनी, वार्ड नं. 39, होली चौक, बघाना-नीमच (म.प्र.) जो कि रजिस्ट्रार आफ फर्म एवं सोसायटीज मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 4343, पर रजिस्टर्ड फर्म है. जिसके एक भागीदार श्री हितेश गर्ग का दिनांक 10-09-18 को अचानक स्वर्गवास हो गया है. अतः संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 15-09-18 की शर्तों के अनुसार फर्म में कृष्णकुमार गर्ग पिता ओमप्रकाश गर्ग एवं मास्टर अनिकेत गर्ग पिता स्वर्गीय हितेश गर्ग को उनकी सहमति एवं शेष पुराने भागीदार की सहमति से दिनांक 11-09-18 से ही भागीदार बनाया गया है. (1) ओमप्रकाश गर्ग पिता किशनलालजी गर्ग, (2) कैलाशचन्द्र मंगल पिता कालूरामजी मंगल, (3) कृष्णकुमार पिता ओमप्रकाशजी गर्ग, (4) मास्टर अनिकेत गर्ग पिता स्वर्गीय हितेश गर्ग द्वारा नेचुरल गार्जियन माला योगिता गर्ग पति हितेश गर्ग.

चुन्नीलाल चम्पालाल एण्ड कम्पनी,

ओमप्रकाश गर्ग,

(भागीदार)

वार्ड नं. 39, होली चौक, बघाना-नीमच (म.प्र.).

(794-बी.)

NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s. KHIYALDAS DEVELOPERS" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00288/2007 date of Registration 08/03/2007 undergone the following changes:-

1. That Shri Vipin Chouhan S/o Shri V. P. S. Chouhan has expressed his desire to retire from the partnership firm w.e.f. 24/10/2018.

2. That the Principal place of business is shifted at Hotel Grand Ashirwad, 28, ISBT Commercial Campus, Near Chetak Bridge, Bhopal w.e.f. 24-10-2018.

"M/S KHIYALDAS DEVELOPERS",
MANISH IDNANI,
 (Partner)
 Hotel Grand Ashirwad 28,
 ISBT Commercial Campus,
 Near Chetak Bridge, Bhopal .

(796-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/s SUNRISE BUILDERS & DEVELOPERS" of Bhopal *vide* Reg. No. 01/01/01/00054/12-2012-2013 Bhopal dated of Registration 16-05-2012 undergone the following changes:-

1. That Shri Dharmendra Singh S/o Shri Mohan Singh and Shri Malkhan Singh S/o Shri Nathu Singh has desire to retire from the partnership firm *w.e.f.* 01-03-2014.

"M/s SUNRISE BUILDERS & DEVELOPERS"
RAJENDRA SINGH,
 (Partner).

(795-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार फर्म मे. मोहनलाल रामरतन माकडोन ते. तराना, जिला उज्जैन में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 1448/1984-85 है. वर्तमान में तीन पार्टनर 1. मोहनलाल पिता रामरतन, 2. रामनिवास पिता रामरतन देवडा, 3. प्रकाशचन्द्र पिता रामरतन देवडा कार्यरत हैं. इसमें प्रकाशचन्द्र देवडा सहमति से फर्म से अलग हो गया हैं. अब इस फर्म में नये पार्टनर के रूप में मनिष पिता मोहनलाल देवडा को सम्मिलित कर लिया गया है. किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिन के अंदर कार्यालय में सम्पर्क करें.

सचिन परमार,
 (एडव्होकेट)
 सुभाष चोक, माकडोन.

(797-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ वैष्णों कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 37, गांधी कॉलोनी, मुरैना मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00109/10, दिनांक 12-08-2010 है. जिसमें दिनांक 20-12-2018 से भागीदार श्री राजीव सिंह तोमर पुत्र श्री मजबूत सिंह तोमर, निवासी-52, गाँधी कॉलोनी, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 21-12-2018 से दो नये पार्टनर (1) श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री शिशुपाल सिंह, निवासी ए-35, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर व (2) श्री शिवम सेंगर पुत्र श्री राज कुमार सेंगर, निवासी बी. एस. एफ. कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर फर्म में शामिल हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स माँ वैष्णों कन्स्ट्रक्शन,
विजयसिंह,
 (प्रोपराइटर).

(798-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व झांसी रोड, ग्वालियर

प्र.क्र. 04/2017-18/बी-113.

ग्वालियर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री रघुवीर सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री बादाम सिंह, निवासी लोर्ड मेहर हाउस पोहरी रोड, नीयर एम एम हॉस्पिटल, जिला शिवपुरी ट्रस्ट स्थान 19-सहारा हॉस्पिटल बंसत बिहार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, झांसी रोड, शहर व जिला ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : वर्ल्ड स्प्रिटल फाउण्डेशन ट्रस्ट,
पता-19-ए सहारा हॉस्पिटल बंसत बिहार, ग्वालियर म.प्र.
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन : 40,000/- रुपये.
चल सम्पत्ति/अचल सम्पत्ति

(1359)

दिनेश चंद शुक्ला,
पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्रीमती रेणु झालानी पति संजय झालानी, निवासी-ई-87, साकेत नगर इन्दौर, साकेत बडोदिया पिता श्रीराम बडोदिया, निवासी-40, मालीपुरा मने रोड जूनीइन्दौर, जिला इन्दौर, श्री नितिन रघुवंशी पिता श्रीराम रघुवंशी, निवासी 107, देवाशीष अपार्टमेंट 9/1, मनोरमागंज ए.बी.रोड, गीता भवन चौराहा, इन्दौर मध्यप्रदेश के द्वारा "सद्भाव सेवार्थ ट्रस्ट", पता-40, मालीपुरा मेन रोड, जूनीइन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस में राजपत्र के प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“सद्भाव सेवार्थ ट्रस्ट”
पता	:	40, मालीपुरा मेन रोड, जूनीइन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.).
चल संपत्ति	:	निरंक.
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1360)

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

माँ शीतला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

माँ शीतला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/566, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1361)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

नीलकमल प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., डबरा.

नीलकमल प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., डबरा जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/-----, दिनांक-----है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1362)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

श्री बालाजी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

श्री बालाजी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/641, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1363)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

शोसल केयर माइक्रो फायनेंस साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

शोसल केयर माइक्रो फायनेंस साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/585, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1364)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

माँ पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

माँ पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/602, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1365)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

जय कोटेश्वर प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

जय कोटेश्वर प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/659, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1366)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

सार्थक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सार्थक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/551, दिनांक 11 जुलाई, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1367)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

दि हिन्दुस्तान साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

दि हिन्दुस्तान साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/612, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1368)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

माँ शीतला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

माँ शीतला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/703, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1369)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

आकांक्षा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

आकांक्षा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/639, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न करने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1370)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

माँ पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

माँ पीताम्बरा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/547, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न करने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1371)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

गोपाचल पशु आहार एवं पशु पालन

सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

गोपाचल पशु आहार एवं पशु पालन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/485, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1372)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

स्टेट यूनियन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

स्टेट यूनियन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/627, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1373)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

जय बजरंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

जय बजरंग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/520, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1374)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

गिराज प्राथ. उप. सहकारी भण्डार, ग्वालियर.

गिराज प्राथ. उप. सहकारी भण्डार, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/684, दिनांक 28 मार्च, 2017 है.

निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1375)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

शोभा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

शोभा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/640, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1376)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

रिची महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

रिची महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/549, दिनांक 11 जुलाई, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1377)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

शुलभ एग्री. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

शुलभ एग्री. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/492, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1378)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

साईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

साईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/662, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1379)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

भारतीय मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

भारतीय मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/512, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1380)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

प्रिया साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा ग्वालियर.

प्रिया साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/569, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1381)

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडियाना जिसका पंजीयन क्र. 821, दिनांक 25 मई, 2005 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई. इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1811, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडियाना को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री प्रमोद तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री प्रमोद तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1382)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदा जिसका पंजीयन क्र. 633, दिनांक 30 जून, 1994 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई. इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1807, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1383)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जेठाना जिसका पंजीयन क्र. 280, दिनांक 08 फरवरी, 1982 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई. इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1805, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जेठाना को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही

धारा-70(1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1384)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवेली जिसका पंजीयन क्र. 523, दिनांक 21 अक्टूबर, 1989 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1804, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवेली को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1385)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरवा जिसका पंजीयन क्र. 977, दिनांक 27 जनवरी, 2014 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1802, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरवा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1386)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिनोली जिसका पंजीयन क्र. 501, दिनांक 02 दिसम्बर, 1988 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1801, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिनोली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1387)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षै.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया जिसका पंजीयन क्र. 478, दिनांक 07 नवम्बर, 1988 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशांसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1799, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहित कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

परमानन्द गोडरिया,

उप-रजिस्ट्रार.

(1388)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियाछत्रधार पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 12 मार्च, 1984 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 5866/23 जून, 2018 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी के आवेदन दिनांक 27 अगस्त, 2018 अनुसार संस्था द्वारा सदस्य सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है ना ही संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2631, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियाछत्रधार पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 12 मार्च, 1984 है, को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

के. एन. त्रिपाठी,

उप-पंजीयक.

(1389)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला होशंगाबाद

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत)

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपायुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद के आदेश/क्र./परि./2017/187, होशंगाबाद, दिनांक 16 जनवरी, 2018 के द्वारा नर्मदा सहकारी मुद्रणाल मर्या., होशंगाबाद/पंजी.क्रमांक 2458 दिनांक 31 जुलाई, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, एस. के. गुप्ता, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र.57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समिति के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं देनदारी हो, तो प्रमाण सहित अपने दावे आपत्ति इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर कोई जवाबदारी मान्य नहीं होगी एवं समिति के उपलब्ध लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेनदेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समिति से संबंधित कोई भी कागजात, समान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अंदर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर दें। समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदारी होंगे।

(1390)

एस. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती सहकारिता विभाग, जिला इन्दौर

दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत सहकारिता, जिला इन्दौर, संभाग इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्रमांक व दिनांक से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर अधिनियम की धारा-18 (1), (2), (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त किया जाता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बैरवा गुरु संत बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-875, पंचम की फेल, इन्दौर)	2403/05-06-2009	क्र./गृहविधि/2018/219, दिनांक 19-01-2018,
2.	प्रखर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-188, कृष्णबाग, एरोड्रम रोड, इन्दौर)	2465/04-10-2010	क्र./गृहविधि/2018/190, दिनांक 19-01-2018
3.	श्री दुर्गाशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-265/7, गोविन्द कॉलोनी, इन्दौर)	2668/07-03-2014	क्र./गृहविधि/2018/259, दिनांक 30-01-2018
4.	प्रियदर्शनी परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-	603/21-03-1996	क्र./गृहविधि/2018/443, दिनांक 16-02-2018

अतः मैं, के. एस. मण्डलोई, अंकेक्षण अधिकारी एवं शासकीय समानुदेशिती मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था से संदर्भितजनों को सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रमशिविर, जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बाद मियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं उक्त धारा-18(क) के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त आदेशानुसार देनदारी-लेनदारी का निराकरण कर प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा। अतः दर्शित सूचना-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी।

(1342)

यह सूचना आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

के. एस. मण्डलोई,
अंकेक्षण अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी, 2019-पौष 14 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील श्योपुर (श्योपुर), मुँगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), बीना, खुरई वण्डा, सागर, रहेली, राहतगढ़, जैसीनगर (सागर), देवसर (सिंगरौली), भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मन्दसौर (मन्दसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), आलोट, सैलाना, बाजना, ताल, रावटी, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), खाचरोद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन (उज्जैन), मोमनबड़ोदिया, शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, देवास, बागली, कन्नौद, हाटपिपल्या, सतवास (देवास), थांदला, पेटलावद (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, उदयगढ़, चं.शेखर आजादनगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, कुच्छी, मनावर, गन्धवानी, डही (धार), बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगाँव (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, बरला, निवाली (बड़वानी), खण्डवा, पुनासा, खालवा, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर, खकनार, नैपानगर (नैपानगर), जीरापुर (राजगढ़), सिरोंज, बासौदा, नटेरन, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इच्छावर (सीहोर), बेगमगंज (रायसेन), बैतूल, भेंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, आमला (बैतूल), सिवनीमालवा, इटारसी (होशंगाबाद), खिरकिया (हरदा), जबलपुर (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, तामिया, परासिया, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, उमरैठ, मोहखेड़, चांद, पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बारासिवनी, लालबर्सा, तिरोड़ी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील विजयपुर (श्योपुर), नरवर, बदरवास (शिवपुरी), ईशागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), चांचौड़ा (गुना), देवरी, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), दमोह, पथरिया, पटेरा (दमोह), उचेहरा, अमरपाटन, मैहर (सतना), सोहागपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), शुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), धार (धार), राजगढ़, सारंगपुर, पचोर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी (विदिशा), नसरुल्लागंज, रेंहटी, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गोहरगंज, सिलवानी (रायसेन), मुलताई (बैतूल), बावई (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), पाटन, शहपुरा (जबलपुर), ढीमरखेड़ा (कटनी), गोटेगांव (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर (मण्डला), हर्ई (छिन्दवाड़ा), बरघाट, केवलौरी, छपारा, लखनादोन, धनोरा (सिवनी), परसवाड़ा, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील भितरवार (ग्वालियर), कैलारस, सबलगढ़ (मुरैना), कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), गुना, आरोन (गुना), अजयगढ़ (पन्ना), हटा, बटियागढ़, जबेरा, तेंदूखेड़ा (दमोह), रामपुर बघेलान (सतना), बुद्धार, गोहपारू (शहडोल), कुसमी, बहरी (सीधी), खिलचीपुर (राजगढ़), विदिशा (विदिशा), श्यामपुर (सीहोर), गैरतगंज, बरेली, वाड़ी (रायसेन), टिमरनी (हरदा), सोहागपुर, बावई, पिपरिया, पचमड़ी (होशंगाबाद), मझोली, पनागर (जबलपुर), बड़वारा, बहोरीबंद (कटनी), नरसिंहपुर, करेली, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, नारायणगंज, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), घन्सौर (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा (मुरैना), कराहल (श्यापुर), ग्वालियर, डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, करैरा, बैरागढ़ (शिवपुरी), राघोगढ़, बमोरी, कुम्भराज (गुना), निबाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, विजावर, बड़ामल्हरा, लवकुशनगर, बक्स्वाहा (छतरपुर), पन्ना + देवेन्द्रनगर, अमानगंज + गुन्नौर, पबई + सिनरिया, शाहनगर + रैपुरा (पन्ना), रघुराजनगर, मझगांवां, नागौदा, रामनगर, विरसिंहपुर (सतना), त्यौंथर, सिरमौर, मरुगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, मनगवां, रायपुर कर्चु. (रीवा), ब्योहारी, जयसिंहनगर, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, रामपुरनैकिन, चुरहट (सीधी), चितरंगी, सिंगरौली (सिंगरौली), ब्यावरा (राजगढ़), कुरवाई (विदिशा), उदयपुरा (रायसेन), बनखेड़ी (होशंगाबाद), कुण्डम, सीहोरा (जबलपुर), मुडवारा, रीठी, विजयराघोगढ़, बरही (कटनी), गाडरवारा (नरसिंहपुर), विछिया (मण्डला), साहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(य) 245.0 मि.मी. से 499.0 मि.मी. तक:- तहसील अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, रोन-मिहोना (भिण्ड), सेवड़ा (दतिया) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई:- जिला मुरैना, श्यापुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. रोपाई :- जिला श्यापुर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, विदिशा, सीहोर, सिवनी में धान रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. बोनी:- जिला मुरैना (बाजरा), श्यापुर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, देवास, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति:- . .

6. कटाई:- . .

7. सिंचाई:- जिला टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, शहडोल, उमरिया, मन्सौर, नीमच, बड़वानी, खण्डवा व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. पशुओं की स्थिति:- . .

9. चारा:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

11. खेतिहर श्रमिक:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बाजरा की बोनी चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	240.0				
2. पोरसा	206.0				
3. मुरैना	104.0				
4. जौरा	57.0				
5. कैलारस	40.0				
6. सबलगढ़	50.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान. (2) उपरोक्त समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	10.0				
2. कराहल	85.0				
3. विजयपुर	26.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	271.0				
2. भिण्ड	318.2				
3. गोहद	285.0				
4. मेंहगांव	426.9				
5. लहार	330.8				
6. रौनमिहोना	446.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	78.2				
2. डबरा	67.2				
3. भितरवार	50.2				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	86.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँग, तिल कम. मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	347.0				
2. दतिया	165.0				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	169.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
1. शिवपुरी	121.0				
2. पिछोर	86.0				
3. खनियाधाना	75.0				
4. नरवर	30.0				
5. करैरा	129.0				
6. कोलारस	51.0				
7. पोहरी	40.0				
8. बैराढ़	60.0				
9. बदरवास	30.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	8.0				
2. ईसागढ़	21.0				
3. अशोकनगर	17.0				
4. चन्देरी	25.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मूँग, सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	52.5				
2. राघोगढ़	75.0				
3. बमोरी	69.0				
4. आरोन	37.0				
5. चाचौड़ा	18.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	65.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तिल, उड़द, मूँग अधिक. धान, सोयाबीन, ज्वार, तुअर, मूँगफली गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	184.0				
2. पृथ्वीपुर	153.0				
3. जतारा	65.0				
4. टीकमगढ़	117.0				
5. बल्देवगढ़	54.0				
6. पलेरा	94.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	155.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गौरीहार	128.0				
2. नौगांव	146.2				
3. छतरपुर	103.0				
4. राजनगर	73.2				
5. बिजावर	162.0				
6. बड़ामल्हरा	185.6				
7. लवकुश नगर	120.0				
8. बक्सवाहा	66.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	43.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना-देवेन्द्रनगर	63.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अमानगंज-गुन्नौर	64.0				
4. पवई-सिमरिया	63.6				
5. शाहनगर-रैपुरा	57.3				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	9.4		4. (1) कोदों-कुटकी, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	9.5		धान, ज्वार, तुअर, मूँग, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	11.4		सोयाबीन, तिल, मूँगफली,		
4. सागर	17.4		आलू-प्याज कम.		
5. रेहली	9.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी		
6. देवरी	26.0		हुई हैं.		
7. गढ़ाकोटा	21.4				
8. राहतगढ़	5.0				
9. जैसीनगर	8.4				
10. केसली	27.1				
11. मालथोन	56.0				
10. शाहगढ़	69.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	53.0		4. (1) सोयाबीन, मूँग, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	40.0		उड़द, धान, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	31.0		तुअर कम.		
4. पथरिया	20.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	36.0				
6. तेन्दूखेड़ा	38.2				
7. पटेरा	32.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	74.6		4. (1) धान, उड़द, मूँग, तूअर,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	77.0		सोयाबीन, तिल, कोदों-कुटकी.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-(बघेलान)	36.0		कम.		
4. नागौद	69.0		(2) . .		
5. उचेहरा	26.0				
6. अमरपाटन	25.0				
7. रामनगर	58.0				
8. मैहर	22.0				
9. बिरसिंहपुर	71.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	116.0		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	123.0		ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	87.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	76.1				
5. हुजूर	112.3				
6. गुढ़	64.0				
7. मनगवां	123.0				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर(कर्चुल्लियान)	64.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. . . 4. (1) मक्का, धान, तुअर. उड़द, तिल अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	28.0				
2. ब्यौहारी	139.0				
3. जयसिंहनगर	142.0				
4. बुढ़ार	38.0				
5. गोहपारू	43.0				
6. जैतपुर	81.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, कोदों-कुटकी कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरीं हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	86.4				
2. अनूपपुर	29.6				
3. कोतमा	139.5				
4. पुष्पराजगढ़	129.6				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू रोपाई चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	93.7				
2. पाली	56.9				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	87.1				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी रोपाई चालू	3. . . 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार कम. मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	85.0				
2. सिंहावल	92.2				
3. मझौली	110.0				
4. कुसमी	41.0				
5. चुरहट	92.0				
6. बहरी	47.6				
7. रामपुरनैकिन	86.7				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी रोपाई चालू	3. . . 4. (1) मक्का ज्वार अधिक. तुअर, कोदों-कुटकी धान कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	75.8				
2. देवसर	13.0				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	53.6				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	1.0				
2. भानपुरा	2.4				
3. मल्हारगढ़	2.0				
4. गरोठ	0.6				
5. मंदसौर-दलोदा	3.0				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	2.0			4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. उड़द, मक्का, तुअर, मूँग, तिल, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	7.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	3.0					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) सोयाबीन समान. मक्का कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	2.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	7.0					
4. बाजना	11.0					
5. ताल	3.0					
6. रावटी	7.0					
7. पिपलोदा	7.0					
8. रतलाम	7.2					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	7.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	6.0			(2) ..		
3. तराना	4.0					
4. घटिया	7.0					
5. उज्जैन	8.0					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..			4. ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	10.0			4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	0.6			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	27.0					
4. कालापीपल	26.0					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	15.0					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	4.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) ..		
3. देवास	2.0					
4. बागली	5.0					
5. कन्नोद	3.0					
6. हाटपिपल्या	5.0					
7. सतवास	6.0					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	2.2		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द अधिक. कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	1.8		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	9.2		4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	11.8		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	18.0				
4. सोडवा	. .				
5. उदयगढ़	7.8				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	9.6				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	2.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	2.0		(2) . .		
3. धार	24.9				
4. कुक्षी	10.0				
5. मनावर	10.0				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	11.0				
8. डही	1.0				
31.*जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. गोतमपुरा	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	0.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	0.4		(2) . .		
3. सेगांव	12.0				
4. खरगौन	. .				
5. गोगांवा	6.0				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	2.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	12.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. राजकोट	1.0				
4. सेंधवा	12.0				
5. पानसेमल	17.0				
6. पाटी	1.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	13.0				
9. निवाली	17.0				
10. चाचरिया	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	6.0		4. (1) सोयाबीन कम. धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खालवा	4.0				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	4.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	6.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	8.2		(2) . .		
3. नेपानगर	10.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	19.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	12.0		(2) . .		
3. खिलचीपुर	37.0				
4. ब्यावरा	80.0				
5. सारंगपुर	17.5				
6. पचोर	20.0				
7. नरसिंहगढ़	23.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. बोनी-रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	13.0		(2) . .		
3. कुरवाई	81.4				
4. बासोदा	2.2				
5. नटेरन	7.0				
6. विदिशा	39.8				
7. गुलाबगंज	9.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	5.5				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) उड़द, मूँग, ज्वार, धान, मक्का अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	1.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैरागढ़	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	4.0		4. (1) मक्का, उड़द अधिक. सोयाबीन ज्वार, मूँग, तुअर कम. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. इच्छावर	3.0				
4. नसरुल्लागंज	21.0				
5. रेहटी	31.0				
6. श्यामपुर	45.0				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	25.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	22.6				
2. गैरतगंज	43.2				
3. बेगमगंज	11.0				
4. गोहरगंज	20.0				
5. बरेली	43.8				
6. सिलवानी	25.6				
7. बाड़ी	35.0				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	71.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	2.0				
2. भैंसदेही	14.5				
3. घोड़ाडोंगरी	4.0				
4. शाहपुर	3.6				
5. चिचौली	5.4				
6. मुल्ताई	19.6				
7. आठनेर	..				
8. आमला	4.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	35.8				
2. सिवनी-मालवा	6.6				
3. बावई	26.0				
4. इटारसी	15.6				
5. सोहागपुर	50.0				
6. पिपरिया	53.4				
7. बनखेड़ी	58.0				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	42.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	29.2				
2. खिड़किया	9.6				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	44.2				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	16.8				
2. कुण्डम	88.0				
3. सीहोरा	53.2				
4. पाटन	23.8				
5. मझौली	40.9				
6. शाहपुरा	19.7				
7. पनागर	37.0				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	45.6				
2. ढीमरखेड़ा	25.0				
3. रीठी	91.1				
4. बड़वारा	39.0				
5. मुड़वारा (कट)	123.0				
6. विजयराघवगढ़	54.0				
7. बरही	74.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	44.0				
2. गोटेगांव	28.0				
3. करेली	50.0				
4. गाडरवारा	67.0				
5. तेंदूखेड़ा	47.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	30.4				
2. नैनपुर	32.5				
3. बिछिया	61.6				
4. निवास	49.4				
5. नारायणगंज	44.5				
6. घुघरी	44.7				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	48.3				
2. शाहपुरा	64.2				
3. बजाग	45.4				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का अधिक. मूँगफली समान. सायाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	3.0				
2. तामिया	3.0				
3. परासिया	0.4				
4. जामई जुन्नारदेव	14.8				
5. सोंसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	10.4				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	2.4				
10. मोहखेड	5.6				
11. हरई	32.6				
12. चांद	2.3				
13. पांढुर्णा	3.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	1.4				
2. बरघाट	19.0				
3. कुरई	..				
4. कवलारी	23.2				
5. लखनादोन	37.8				
6. छपारा	28.0				
7. धनोरा	17.8				
8. घंसीर	30.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	14.6				
2. लाँजी	5.1				
3. किरनापुर	3.4				
4. बैहर	43.0				
5. वारासिवनी	16.0				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्वा	4.0				
8. तिरोडी	1.6				
9. परसवाड़ा	31.9				
10. बिरसा	22.4				
11. खैरलाँजी	..				

जिला:- जिला आगर व इन्दौर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.